अध्याय II
अग्रिम प्राधिकार जारी करना

डीजीएफटी ने एफटीपी 2015-20 में परिकल्पित बेहतर व्यापार सुविधा और कागज रहित प्रसंस्करण के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रणाली से आवेदनों की प्राप्ति और आरए और निर्यातकों के बीच न्यूनतम इंटरफेस के साथ लाइसेंस जारी करने की शुरुआत की। 2015-16 से 2018-19 तक की अवधि के लिए स्वचालित प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की और डेटा के विश्लेषण द्वारा एए को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लागू किए गए सरलीकरण उपायों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में जांच की गयी। विश्लेषण में पता चला कि एए योजना स्वचालित होने के नाते आवेदन की प्राप्ति के साथ को आंशिक रूप से स्वचालित किया गया था जबकि एए जारी करने की प्रक्रिया काफी हद तक मैनुअल रही। लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान एए योजना के लिए विकसित स्वचालित प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक था जिसके कारण परिहार्य प्रत्यक्ष इंटरफेस तथा प्राधिकृत कर्मचारियों के पास विवेकाधिकार रहा जिसके परिणामस्वरूप एए जारी करने में काफी विलम्ब हुआ। किसी मानदंड के बिना आधारित एए जिनकों डीजीएफटी मुख्यालय में एनसी द्वारा अंतिम रूप दिया गया, मैनुअल रहे।

2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान जारी किए गए एए का 65 प्रतिशत एसआईओएन आधारित था और शेष 35 प्रतिशत संबंधित एनसी द्वारा अंतिम रूप दिए जाने वाले बिना मानदंडों की श्रेणी से संबंधित थे; समीक्षा के लिए चयनित नमूना उसी अनुपात में तैयार किया गया था। हालांकि, इस अध्याय में टिप्पणी की गई कुल 1422 एए में से 621 एए एसआईओएन आधारित (44 प्रतिशत) थे और शेष 801 एए बिना मानदंडों की श्रेणी (56 प्रतिशत) के थे। इस प्रकार, एए से संबंधित अधिकांश लेखापरीक्षा मुद्दे, भले ही यह कुल एए का केवल एक तिहाई हिस्सा है, बिना मानदंडों की श्रेणी के तहत जारी किए गए।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण और व्यापार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली के साथ-साथ मैनुअल प्रणाली में कमियों को भी दर्शाया, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- डीजीएफटी में अधिकारी/कर्मचारी के स्वरूप की समीक्षा (पैरा 2.1);
- एए जारी करने में देरी (पैरा 2.2);
- एसआईओएन की समय पर समीक्षा/अद्यतन का अभाव (पैरा 2.3);
- एनसी द्वारा मानदंडों के निर्धारण में अनियमितताएं (पैरा 2.4);
- अस्वीकृत इकाई सूची (डेल) की अपर्याप्त निगरानी (पैरा 2.5);
- अपात्र आवेदकों को अनियमित एए जारी करना (पैरा 2.6);
- अपात्र आपूर्तियों पर अनियमित एए जारी करना (पैरा 2.7);
- अन्य अनियमितताएं (पैरा 2.8)।

2.1 डीजीएफटी में अधिकारी/कर्मचारी के स्वरूप की समीक्षा

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी मुख्यालय के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय संरचनाओं (आरए) में अधिकारी/कर्मचारी के स्वरूप और रिक्तियों की स्थिति की समीक्षा की ताकि एए योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने में डीजीएफटी की प्रतिकुल क्षमता के साथ कर्मचारियों की कमी का पता लगाया जा सके।

यह देखा गया कि 2015-16 से 2018-19 की अवधि में डीजीएफटी मुख्यालय में रिक्ति की स्थिति, स्वीकृत संख्या (एसएस) में 9.4 प्रतिशत की कमी के बावजूद 43 प्रतिशत से बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई, जैसा कि नीचे विवरण में दिया है:

तालिका 2.1: डीजीएफटी मुख्यालय में एसएस[7] की तुलना में पीआईपी

वर्ष	राजपत्रित		गैर राजपत्रित		कुल		रिक्ति
	एसएस	पीआईपी	एसएस	पीआईपी	एसएस	पीआईपी	संख्या (प्रतिशत)
2015-16	155	97	343	188	498	285	213 (42.7)
2016-17	155	93	343	172	498	265	233 (46.7)
2017-18	147	85	343	185	490	270	220 (44.8)
2018-19	147	83	304	154	451	237	214 (47.4)

इस तथ्य के बावजूद कि लेखापरीक्षा ने 2015-16 से 2018-19 की अवधि के लिए आरए स्तर पर एसएस और पर्सन-इन-पोजिशन (पीआईपी) के लिए अनुरोध किया, डीजीएफटी ने केवल 30 जून 2021 तक पदभार स्थिति साझा की जिसमें 1,074 (58 प्रतिशत) की रिक्तियां के साथ 1,849 की स्वीकृत संख्या के प्रति पीआईपी 775 थे, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैं:

[7] एसएस- स्वीकृत संख्या; पीआईपी-पर्सन-इन-पोजिशन

तालिका 2.2: आरए स्तर पर एसएस की तुलना में पीआईपी

मापदंड	राजपत्रित		गैर राजपत्रित		कुल		रिक्ति
	एसएस	पीआईपी	एसएस	पीआईपी	एसएस	पीआईपी	संख्या (प्रतिशत)
30 जून 2021 तक पदभार स्थिति	211	153	1638	622	1849	775	1074 (58.0)

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, डीजीएफटी मुख्यालय और पर्याप्त संचित रिक्तियों वाले आरए दोनों में कर्मचारियों की भारी कमी थी, जिससे न केवल अग्रिम प्राधिकार बल्कि एफटीपी के तहत अन्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने में डीजीएफटी की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सिफारिश संख्या-1 : डीजीएफटी/वाणिज्य विभाग को योग्य संसाधनों के साथ संचित रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी चाहिए, ताकि यह अग्रिम प्राधिकार और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो, यदि डीजीएफटी इन योजनाएं को जारी रखने का इरादा रखता है, तो।

2.2 एए जारी करने में विलंब

एचबीपी 2015-2020 के पैरा 9.10 के साथ पठित पीएन 16/2015-2020 दिनांक 4 जून 2015, जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से एए योजना के संबंध में आवेदनों के निपटान के लिए "तीन दिन" की समय-सीमा निर्धारित करता है। डीजीएफटी सिटीजन चार्टर दस्तावेज में भी यही समय सीमा घोषित की गई थी।

लक्षित समय-सीमा को प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी ने एचबीपी 2015-2020 के पैरा 4.02 के माध्यम से आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग के समय आयात निर्यात फॉर्म (एएनएफ) 4ए में सभी निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करने की परिकल्पना की थी और आवेदन की कोई भौतिक प्रति आरए को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी।

हालांकि यह देखा गया कि केवल आवेदन की प्राप्ति स्वचालित थी और आवेदन के साथ दस्तावेजों की अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग, हालांकि पॉलिसी परिपत्र संख्या 23/2015-20 के तहत अप्रैल 2015 में परिकल्पित मई 2019 में ही लागू किया जा सका था। लेखापरीक्षा द्वारा चयनित सभी नमूना मामलों में सभी

निर्धारित दस्तावेज भौतिक रूप से प्रस्तुत किए जा रहे थे और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्राप्ति के बाद ही आरए ने आवेदनों पर कार्रवाई की।

लेखापरीक्षा ने निर्धारित समयसीमा की तुलना में सुविधा उपायों की सफलता की जांच की और विलंब को पाया, जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया हैं:

1. चयनित 23 आरए द्वारा जारी एए पर डेटा के विश्लेषण से समीक्षा (2015-16 से 2018-19) में शामिल अवधि के दौरान जारी किए गए कुल 81,403 एए (77.83 प्रतिशत) में से 63,360 मामलों में देरी का पता चला। जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया हैं:

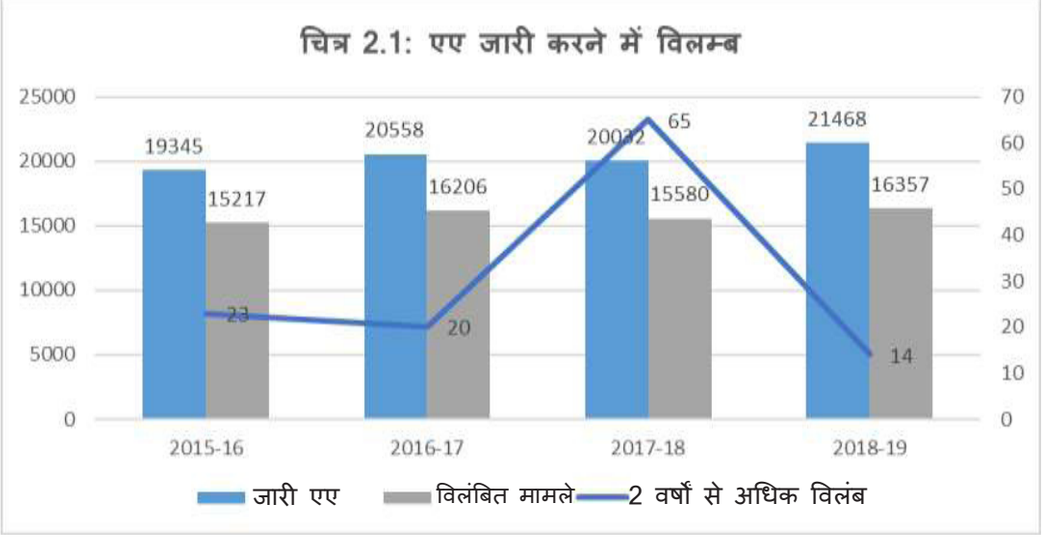

यह देरी चार दिनों से लेकर 2,349 दिनों तक थी, 52,907 एए में 1 महीने तक, 7,581 एए में 3 महीने तक, 2,750 एए में दो साल तक और 122 एए में 2 साल से अधिक की विलंब देखी जा रहा है (अनुलग्नक 1क)। वर्षवार, 2015-16 के दौरान 15,217 लाइसेंस (78.66 प्रतिशत), 2016-17 के दौरान 16,206 लाइसेंस (78.78 फीसदी), 2017-18 के दौरान 15,580 लाइसेंस (77.78 फीसदी) और 2018-19 के दौरान 16,357 लाइसेंस (76.19 फीसदी) में विलंब देखा गया, जो नीचे में दिया गया है:

तालिका 2.3 : एए जारी करने में देरी का वर्ष-वार विश्लेषण

वर्ष	कुल एए जारी किए	देरी					
		4 दिनों-एक महीना	1-3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	1-2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
2015-16	19345	12417	1979	485	220	93	23
2016-17	20558	13527	1984	397	200	78	20
2017-18	20032	13120	1758	392	164	81	65
2018-19	21468	13843	1860	414	162	64	14
Total	**81403**	**52907**	**7581**	**1688**	**746**	**316**	**122**

ज्यादा विलंब वाले नौ आरए का विश्लेषण नीचे ग्राफ में दिया गया है:

चित्र 2.2: मुख्य आरए में एए जारी करने में विलम्ब

	मुंबई।	दिल्ली	अहमदाबाद	बंगलुरू	हैदराबाद	चेन्नई।	वडोदरा	कोलकाता	पुणे	अन्य
3 माह से अधिक	1338	236	383	147	125	89	183	116	76	179
1 से 3 माह	3246	710	929	522	547	475	379	198	154	421
1 माह तक	19369	7634	5495	3853	3661	3246	2438	1815	929	4467

जबकि अधिकांश विलंब एक महीने से भी कम हैं, फिर भी महत्वपूर्ण विलंब एक महीने से अधिक के हैं। तीन दिन की निर्धारित समय-सीमा पर्याप्त अंतर से अवितरित रही।

2. लेखापरीक्षा के लिए चयनित 23 आरए में से 20 में 3,497 नमूना मामलों की समीक्षा में चार दिन से लेकर 2,199 दिन तक के विलंब के साथ 1,012 मामलों में विलंब का पता चला। नमूना मामलों में विलंब की रूपरेखा समग्र आबादी की तुलना में कम है, लेकिन हमारे नमूने उच्च मूल्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित के बाद से, कम मूल्य के मामलों में विलंब की रूपरेखा भी अधिक थी, जिसके कारण छोटे निर्यातकों को अनुचित कठिनाई हुई। तीन आरए (कोचीन, चंडीगढ़ और लुधियाना) के मामले में चयनित नमूनों में कोई विलंब नहीं पाया गया। कुल 1,012 विलंबित मामलों में से 792 में कोई कमीपूरक पत्र (डीएल) जारी नहीं किया गया था और एए जारी करने में विलंब के कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं थे जो तीन कार्य दिवसों में जारी किए जाने चाहिए थे। **(अनुलग्नक 1ख)**।

विलंब के मुख्य कारण ऑनलाइन आवेदन फाईल करने के बाद भौतिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता, अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) आदि की अपर्याप्त निगरानी थी, जिससे एए जारी करने में देरी हुई।

एए जारी करने में पर्याप्त विलम्ब से कारोबार सहजता में और क्रियाविधि के सरलीकरण का उद्देश्य प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता दर्शायी गयी। स्वाचालन से एए जारी करने की प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक था क्योंकि आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेजों की अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग केवल मई 2019 में कार्यान्वित की जा सकी जिसके कार्यान्वयन की आगामी लेखापरीक्षा में समीक्षा की जाएगी। तब तक, सभी निर्धारित दस्तावेज प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किए जा रहे थे जिससे एक ऑनलाइन सिस्टम को सहज बनाने का प्रयोजन विफल हो गया, परिणामस्वरूप निर्धारित समयावधि होने के बावजूद एए जारी करने में अत्यधित विलम्ब हुआ था।

सिफारिश संख्या-2 : डीजीएफटी यह सुनिश्चित करके एए को समय पर जारी करने के लिए मैनुअल और स्वचालित प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सकता है कि ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल पूरा और पूर्ण आवेदन स्वीकार करने के लिए पुन: व्यवस्थित किया गया है। ऐसे निर्गमन की समय-सीमा (या अन्यथा) की पर्याप्तता की समीक्षा भी की जा सकती है। तीन दिनों की निर्धारित समय-सीमा की तुलना में डीजीएफटी द्वारा एए जारी करने में महत्वपूर्ण विलम्ब (तीन महीने से दो वर्ष से अधिक) प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर आयातित वस्तुओं को प्राप्त करने की योजना के मूल उद्देश्य को विफल करता है। ऐसी विस्तारित अवधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

डीजीएफटी ने बताया (फरवरी 2021) कि 1 दिसंबर 2020 को एक नई आईटी प्रणाली शुरू की गई थी जिसमें सभी अपेक्षित दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने, कमियों और उनकी प्रतिक्रियाओं को ऑनलाइन निपटाने, ऑनलाइन जारी किए गए प्राधिकारों और सीमा शुल्क को निर्बाध रूप से डेटा स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जिससे योजना कागजरहित हो सके।

लेखापरीक्षा के दौरान शामिल की गई अवधि 2015-16 से 2018-19 तक थी; इसलिए, इस संबंध में कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

2.3 मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) की समय पर समीक्षा/अद्यतन का अभाव

अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत, किसी दिए गए उत्पाद के लिए अनुमत इनपुट की मात्रा उस निर्यात उत्पाद के लिए परिभाषित विशिष्ट मानदंडों पर आधारित होती है, जो निर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न अपव्यय पर विचार करती है। डीजीएफटी, प्रक्रिया की पुस्तिका (एचबीपी वॉल्यूम-II) के तहत मानक इनपुट-आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) की एक क्षेत्रवार सूची प्रदान करता है।

यह देखा गया था कि एसआईओएन को अंतिम बार डीजीएफटी द्वारा मई 2009 में एचबीपी 2009-14 (खंड-II) के तहत अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, डीजीएफटी द्वारा एसआईओएन की कोई व्यापक समीक्षा नहीं की गई, भले ही 2015-2020 के लिए एचबीपी 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया था और 2021-2026 के लिए एचबीपी अधिसूचित किया जाना है। हालांकि, एसआईओएन को हितधारको से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर सार्वजनिक नोटिसों के माध्यम से मामले दर मामले के आधार पर प्रस्तुत/निरस्त/संशोधित किया गया था।

सिफारिश संख्या-3: समय के साथ सभी क्षेत्रों में विनिर्माण प्रक्रियाओं और सुविधाओं के साथ-साथ तकनीकी उन्नयन में प्रगति की, डीजीएफटी को एचबीपी वॉल्यूम- II के माध्यम से 2009 में अधिसूचित एसआईओएन की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए।

2.4 मानदंड समितियां (एनसी)

एफटीपी के पैरा 4.03 में यह अनुबद्ध है कि एचबीपी में उपलब्ध अधिसूचित एसआईओएन के आधार पर परिणामी उत्पाद के संबंध में इनपुट के लिए एए जारी किए जाए। एचबीपी के पैरा 4.06 में डीजीएफटी मुख्यालय में उन मामलों के लिए एनसी द्वारा मानदंडों के निर्धारण का प्रावधान है जहां मानदंडों को अधिसूचित नहीं किया गया है। आवेदकों को संबंधित एनसी को निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ 4ख में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

2.4.1 एनसी का गठन

एनसी की कार्यप्रणाली को समझने और एनसी द्वारा मानदंडो के निर्धारण में देरी के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए, लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी से एनसी

संरचना, श्रमबल, समितिवार कार्यभार और बैकलॉग का विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। डीजीएफटी ने बताया (जुलाई 2021) कि मुख्य वस्तुओं (प्लास्टिक और रबर, रासायनिक उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद (समूह क और ख), कपड़ा और चमड़ा और समुद्री, खाद्य पदार्थ और विविध) के लिए डीजीएफटी में सात एनसी थे। आवेदकों को बिना मानदंड की श्रेणी के तहत क्षेत्राधिकार आरए के माध्यम से संबंधित एनसी से संपर्क करना होगा। एनसी के गठन में अध्यक्ष, संयोजक, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, महानिदेशालय ड्रॉबैक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि, संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद/कमोडिटी बोर्ड और कई अन्य तकनीकी प्राधिकरण शामिल है जिसे अध्यक्ष आमंत्रित करना चाहते हैं।

एनसी के साथ लंबित स्थिति का विवरण नीचे दिया है:

तालिका 2.4: एनसी के साथ लंबित स्थिति (एनसी-1 से एनसी-7)

अवधि	आदिशेष	निर्धारण के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	निर्धारण के लिए लंबित अंतशेष	लंबित प्रतिशत
2015-16	3660	5280	3820	349	4771	53.36
2016-17	4771	5306	4406	470	5201	51.61
2017-18	5201	5083	2932	274	7078	68.82
2018-19	7078	5345	6326	491	5606	45.12
2019-20	5606	3996	नहीं दिया	नहीं दिया	6044	62.95
कुल		**25010**	**17484**	**1584**		

लेखापरीक्षा ने मानदंड समितियों के साथ अग्रिम प्राधिकार आवेदनों की लंबित स्थिति की समीक्षा की। 31 मार्च 2019 तक, 5606 आवेदन लंबित थे जो 31 मार्च 2020 (7.8 प्रतिशत) तक बढ़कर 6044 हो गए। यह 2017-18 के दौरान सबसे अधिक (69 फीसदी) थे। एनसी-वार, लंबन अधिकतर एनसी-3 (रासायनिक उत्पादों) और एनसी-4 (फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों) में देखा गया था, जिसमें 31 मार्च 2019 को लंबन समय क्रमशः 1286 और 938 था।

2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान जारी किए गए प्राधिकारों की समीक्षा से पता चला है कि 65 प्रतिशत एए एसआईओएन आधारित थे और शेष 35 प्रतिशत बिना मानदंड की श्रेणी से संबंधित थे जिन्हें संबंधित एनसी द्वारा अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है। समीक्षा के लिए चयनित नमूना उसी अनुपात में तैयार किया गया था। चयनित नमूने की नमूना जांच में निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला:

2.4.2 एनसी द्वारा मानदंडों के निर्धारण में विलंब

एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.16 (i) में बताया गया है कि मानदंडों, जिनके लिए आवेदन किया गया है, यदि परिशिष्ट 4ई में निर्दिष्ट दस्तावेजों/तकनीकी विवरणों के साथ पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार महीने के भीतर एनसी द्वारा मानदंडों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो इसे अंतिम माना जा सकता है।

लागू मानदंडों को अंतिम मानने के प्रावधान को बाद में दिसंबर 2017 में हटा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने नौ आरए में 3,139 मामलों की समीक्षा की और 2,113 मामलों (67 फीसदी) में अपवाद पाए गए। आरए स्तर पर पाए गए मानदंडों के गैर/विलंबित निर्धारण के कुछ मामलों को नीचे रेखांकित किया गया है:

तालिका 2.5 : एनसी द्वारा मानदंडों का गैर/लंबित निर्धारण

क्र/सं	आरए का नाम	मामलों की संख्या	लंबित अवधि	टिप्पणी
1	मुंबई	2030	16 वर्ष तक	वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 की अवधि के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की नमूना जांच से प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) - 3 रिपोर्ट में विसंगतियों का पता चला अर्थात, 136 फाइलें पहले ही मोचन की गई थीं, एनसी ने 10 मामलों में मंजूरी दी और 12 मामलों में अस्वीकृत आदेश जारी किए गए और फिर भी ये सभी लाइसेंस एनसी के साथ मानदंडों के अनुमोदन के लिए लंबित एमआईएस-3 में प्रदर्शित किए गए।
2	दिल्ली	24	19 से 65 महीने	17 मामलों में, जहां ईओपी, पहले ही समाप्त हो गया था, योजना के तहत दो विस्तारों पर विचार किया गया।
3	हैदराबाद	31	4 से 33 महीने	विलंबित 31 मामलों में से 16 में, एनसी द्वारा निर्धारित इनपुट की मात्रा निर्यातकों द्वारा आवेदित

क्र/सं	आरए का नाम	मामलों की संख्या	लंबित अवधि	टिप्पणी
				मात्रा से कम थी; हालांकि, बीच की अवधि में एएच पहले से ही इन एए के प्रति माल का आयात कर लिया था।
4	विशाखापट्टनम	9	48 महीने (मई 2021 तक)	अभी किसी भी मामले में निर्धारित नहीं है। अन्य छह मामलों में, यह बताने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं पाया गया कि मानदंडों के निर्धारण के लिए एनसी से संपर्क किया गया था।
5	कोलकाता	8	68 महीने (मई 2021 तक)	प्रत्येक प्राधिकार के प्रति एएच ने माल आयात किया, हालांकि ईओपी की समाप्ति के तीन वर्ष बाद भी नियमितीकरण के लिए आरए द्वारा एएच को जारी किए गए किसी पत्र/कारण बताओ नोटिस (एससीएन) को और न ही एनसी द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।
6	कानपुर	3	66 महीने (मई 2021 तक)	अभी किसी भी मामले में निर्धारित नहीं है। आरए ने एनसी द्वारा मानदंडों को अंतिम रूप न देने के आधार पर ईओडीसी के मुद्दे को लंबित रखा।
7	बेंगलुरु	3	66 महीने (मई 2021 तक)	इन सभी मामलों में ईओ की अवधि समाप्त हो गई और एएच निपटान/ईओडीसी आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका, क्योंकि एसआईओएन अनुमोदन/मानदंडों संपुष्टि अभी भी डीजीएफटी के पास लंबित था। एक मामले में, मेसर्स ए लिमिटेड ने ईओडीसी के लिए आरए वडोदरा से संपर्क किया क्योंकि सीमा शुल्क ने उसके मोचन/ ईओडीसी आवेदन के लंबित होने के कारण उसकी निर्यात खेप को रोके रखा था। हालांकि, ईओडीसी एनसी द्वारा मानदंडों का निर्धारण न करने के कारण लंबित है।
8	वडोदरा	2	65 महीने (मई 2021 तक)	
9	जयपुर	3	50 महीने (मई 2021 तक)	
कुल		**2113**		

संविक्षा से पता चला है कि मानदंडों के निर्धारण में विलंब के लिए मुख्य कारण एनसी की बैठकों की कार्यसूची में मामलों की सूची तैयार करने में देरी थी और संबंधित मंत्रालय/विभाग/तकनीकी विशेषज्ञों के सक्षम प्राधिकारियों से तकनीकी राय/टिप्पणियां प्रस्तुत करने में भी विलंब हुआ था। इसके अलावा, आरए से एनसी को आवेदन की प्राप्ति न होना/विलंब प्राप्तियां भी समग्र विलंब में जोड़ी गई।

सिफारिश संख्या-4 :चार महीने से लेकर 16 साल तक के मानदंडों के निर्धारण में देरी के साथ (जब एए योजना के तहत शुल्क मुक्त इनपूट और निर्यात के लिए निर्धारित समय सीमा क्रमशः 12 महीने और 18 महीने है), बिना मानदंडों

की श्रेणी के लिए मानदंड समिति (एनसी) प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही है और डीजीएफटी को दुरुपयोग की संभावना को कम करते हुए, इसकी व्यावहारिकता और व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता है।

डीजीएफटी ने बताया (फरवरी 2021) कि मुख्यालय में लंबित मामलों की समायिक समीक्षा की जा रही है और सभी एनसी को मानदंडों के निर्धारण में तेजी लाने को कहा गया है। इसके बाद 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी आईटी प्रणाली पेपर रहित होने की परिकल्पना की गई है जिसमें मध्यवर्ती चरण अर्थात एनसी को आवेदन करना, तकनीकी प्राधिकरणों की टिप्पणियां और इसकी प्रतिक्रियाओं को ऑनलाइन निपटाया जाएगा और मानदंडों के निर्धारण के लिए चार महीने की निर्धारित समय-सीमा प्राप्त होने की उम्मीद है।

आयात और निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए क्रमश 12 महीने और 18 महीने की समय-सीमा के प्रति चार महीने से लेकर 16 वर्ष तक की निर्धारित अवधि से अधिक मानदंडों के निर्धारण से काफी विलंब हुआ। समय पर मानदंडों को अंतिम रूप न देने के साथ ही निर्यातकों को निर्धारित अवधि के भीतर ईओडीसी जारी नहीं किया जा सकता, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बांड और बीजी को अवरुद्ध किया जा सका बल्कि ईओ मामलों की पूर्णता न होने में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा, इससे मूल एएच को दंडित करने के अलावा चूक मामलों के लिए सीमा शुल्क और उस पर ब्याज की वसूली करने के लिए आरए और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा फर्मों के प्रति कार्यवाही शुरू करने में भी देरी होती है, जिन्हें सभी निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने के बाद भी ईओडीसी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आगामी लेखापरीक्षाओं में नई आईटी प्रणालियों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

2.4.3 किसी मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम समय सीमा का न होना

एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.17 में यह अनुबद्ध है कि आवेदक डीजीएफटी साइट पर निर्णय की होस्टिंग की तिथि से 90 दिनों के भीतर मानदंडों के निर्धारण के संबंध में एनसी के निर्णय के विरुद्ध पुनः विचार आवेदन कर सकता

है। 90 दिनों के बाद पुनः विचार आवेदन ₹ 5,000/- के संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन किया जाएगा।

आरए बेंगलुरु ने "बिना मानदंडों की श्रेणी" के तहत मेसर्स. ख लिमिटेड को एए (सितम्बर 2015) जारी किया, जिसकी एनसी द्वारा पुष्टि की जानी थी। एनसी ने मामला अस्वीकृत कर दिया (अगस्त 2018) और फर्म ने एनसी के निर्णय की समीक्षा के लिए एक पुनः विचार आवेदन प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2018), जो अभी भी लंबित है। ईओ की अवधि मार्च 2017 तक थी। फर्म द्वारा किए गए आयात पर शुल्क का भुगतान करके मामले को नियमित करने के लिए पूछे जाने पर (जनवरी 2019) फर्म ने आरए को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि समिति द्वारा "बिना मानदंडों की श्रेणी" के लिए मामले को अस्वीकार कर दिया गया था। आज तक आरए द्वारा आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

सीएलए दिल्ली द्वारा नमूना जांच से पता चला है कि तीन मामलों में, आवेदक ने एनसी द्वारा किए गए निर्णय की तिथि से 216 से 1,118 दिनों के बाद पुनः विचार आवेदन प्रस्तुत किया और तीनों मामले अभी भी एनसी के पास विचाराधीन हैं।

आरए बेंगलुरु ने बताया कि फर्म ने एचबीपी 2015-20 के प्रावधान के अनुसार अस्वीकृति के प्रति एनसी के लिए पुनः विचार आवेदन प्रस्तुत किया था। सीएलए दिल्ली से उत्तर प्रतिक्षित है।

एफटीपी/एचबीपी में एनसी के निर्णय के विरुद्ध पुनः विचार आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है जिसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क और उस पर ब्याज की वसूली करने के लिए आरए और सीमा शुल्क प्राधिकारीं द्वारा एएच के प्रति कार्यवाही शुरू करने में विलंब होता है।

सिफारिश संख्या-5: डीजीएफटी एक समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है जिसके भीतर एनसी के निर्णयों की समीक्षा करने की अपील की जा सकती है।

डीजीएफटी ने सिफारिश की सराहना करते हुए बताया (फरवरी 2021) कि अगले एफटीपी को लाने के समय इसकी विस्तार से जांच की जाएगी।

2.4.4 एनसी द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त आयात हकदारी

एनसी द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त आयात या एनसी द्वारा मानदंडों को अनुमोदित करने में विलंब लेखापरीक्षित 893 एए में से सात में पाई गई थी, जिसमें तीन आरए में ₹2.04 करोड़ की शुल्क वसूली योग्य राशि शामिल है जिसे नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.6: एनसी द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त आयात हकदारी

क्र/स.	आरए	फर्म का नाम	एए की संख्या	एनसी के निर्णय	अतिरिक्त आयात (₹ लाख में)	टिप्पणी
1	जयपुर	मेसर्स सी लिमिटेड	1	अगस्त 2018	147.80	एनसी का निर्णय 19 महीने बाद आया है जिसमें अपशिष्ट को 5 और 2.9 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है, जबकि फर्म ने 32 प्रतिशत का दावा किया था
2	मुंबई	मेसर्स डी लिमिटेड	3	अप्रैल 2016	48.87	एए बिना मानदंडों श्रेणी की पुनरावृत्ति के आधार के तहत जारी किए गए लेकिन परिशिष्ट 4ई और पिछले तीन वर्षों की घोषणा से पता चला है कि इनपुट की खपत एनसी द्वारा निर्धारित मानदंडों से कम थी
3	दिल्ली	मेसर्स ई एंड एफ	3	सीएलए द्वारा सभी तीनों एए का मोचन कर दिया	6.98	निर्यात की गई मात्रा के उत्पादन में वास्तव में खपत होने वाले आयातित इनपुट की तुलना से अतिरिक्त आयात का पता चला
कुल			**7**		**203.65**	

डीजीएफटी ने बताया (फरवरी 2021) कि सीएलए दिल्ली ने ₹ 8.94 लाख की वसूली की, और आरए मुंबई और जयपुर ने लागू सीमा शुल्क की वसूली के लिए फर्मों के प्रति कार्रवाई शुरू कर दी है।

2.4.5 मानदंडों के लिए एए आवेदन अस्वीकरण पर सीमा शुल्क का न होना

एचबीपी के पैरा 4.07 (i) के अनुसार, आरए एए जारी कर सकता है जहां किसी निर्यात उत्पाद के लिए कोई एसआईओएन/तदर्थ मानदंड नहीं है या जहां एसआईओएन/तदर्थ मानदंडों को अधिसूचित/प्रकाशित किया गया है लेकिन निर्यातक आवेदकों द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर विनिर्माण प्रक्रिया में अतिरिक्त इनपूट का उपयोग करना चाहता है। संशोधन/अस्वीकृति के मामले में, आवेदक डीजीएफटी वेबसाइट पर एनसी के निर्णय की होस्टिंग की तिथि से तीस दिनों के भीतर डीओआर द्वारा अधिसूचित शुल्क और ब्याज का भुगतान करेगा।

आरए मुंबई ने (जुन 2018) "बिना मानदंडों की श्रेणी" के तहत मेसर्स जी लिमिटेड को एए जारी किया और मामला एनसी को संदर्भित किया गया। यह पाया गया कि एनसी ने मानदंडों को यह कहते हुए कि "संबंधित विभाग/मंत्रालय से तकनीकी इनपुट उपलब्ध नहीं है" अस्वीकार कर दिया था (सितंबर 2018)। आवेदक को सलाह दी गई कि वह ड्राबैक मार्ग[8] अपनाए न कि तदर्थ एए मार्ग। इसके बाद, आरए को निर्देश दिया गया था कि ऐसे निर्यात उत्पाद के लिए तदर्थ मानदंडों के आधार पर कोई नया एए जारी न किया जाए।

चूंकि एनसी ने मानदंडों को अस्वीकृत कर दिया था, इसलिए एएच को सभी आयात पर आयात शुल्क का भुगतान करना और लाइसेंस को नियमित करना अपेक्षित था। हालांकि, आरए ने एए की वैधता को छह महीने (जून 2019 से दिसंबर 2019 तक) बढ़ा दिया और एए के प्रति किए गए सीआईएफ ₹23.49 करोड़ रुपये के आयात पर ₹3.52 करोड़ रुपये की लागू शुल्क अभी भी वसूली योग्य है।

इसी इकाई को एए जारी किया गया था (जून 2017) और मामले को मानदंडों के निर्धारण के लिए एनसी को संदर्भित किया गया। एनसी ने मानदंडों को अस्वीकृत कर दिया और इसलिए ₹7.03 करोड़ का अनुमानित परित्यक्त शुल्क वसूल किया जाना चाहिए था।

इसी तरह आरए कोच्चि में एनसी द्वारा अस्वीकृत किए गए चार मामलों में से दो में, एएच ने ₹1.06 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले इनपुट के आयात पर ₹24.50 लाख के परित्यक्त सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया। इसके अलावा, एक मामले में, आरए ने एनसी द्वारा अस्वीकृति के बाद भी छह महीने की आगामी अवधि के लिए प्राधिकार को फिर से वैध कर दिया, जो क्रम में नहीं है।

डीजीएफटी ने आरए मुंबई के संबंध में, बताया (फरवरी 2021) कि इस मामले को संबंधित एनसी के साथ उठाया जा रहा था और आरए कोच्चि के संबंध में,

[8]सीमा शुल्क अधिनियम के तहत ड्राबैक दिया जाता है जिसके द्वारा निर्यातकों को निर्यात वस्तुओं में उपयोग किए जाने वाले इनपूट पर प्रदत्त करों का प्रतिदाय प्राप्त होता है। यह ड्राबैक वर्षानुवर्ष आधार पर निर्धारित अधिसूचित दरों पर दी जाती है। अग्रिम प्राधिकार योजना का उपयोग करने वाले निर्यातकों को वापसी मार्ग का विकल्प चुनने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि यदि वे शुल्कों के भुगतान पर घरेलू रूप से खरीदे जाने वाले कुछ इनपुट पर वापसी का दावा करना चाहते हैं, तो निर्यातक को प्राधिकार में आवेदन के समय ऐसी जानकारी पर वापसी का दावा करने का अपना आशय बताना अपेक्षित है।

लागू सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए फर्मों के प्रति मांग नोटिस जारी किए गए थे।

2.4.6 चार्टर्ड इंजीनियर (सीई) के प्रमाण पत्र के बिना मानदंडों का निर्धारण

एचबीपी 2015-20 के पैराग्राफ 4.06 के अनुसार, यदि एसआईओएन को अधिसूचित नहीं किया गया है, तो मानदंडों के निर्धारण के लिए डीजीएफटी में संबंधित एनसी को निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ 4 बी में आवेदन ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। एसआईओएन के निर्धारण के लिए, तकनीकी डेटा शीट (परिशिष्ट-4ई) और सीई प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-के में) निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

आरए अहमदाबाद में समीक्षित 335 एए (2 प्रतिशत) के चयनित नमूनों में से आठ में यह देखा गया कि किसी भी निर्यातक ने किसी भी आवेदन में निर्धारित परिशिष्ट-4के (एसआईओएन के निर्धारण के लिए सीई प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किया; हालांकि, सभी प्राधिकरों में एनसी ने मानदंड निर्धारित किए। इन एसआईओएन के आधार पर निर्यातकों द्वारा आयात/निर्यात प्रभावित हुआ था और ईओडीसी को आरए द्वारा आठ मामलों में से पांच में जारी किया गया था जबकि शेष तीन मामले ईओडीसी के लिए लंबित हैं। इसके परिणामस्वरूप आठ प्राधिकरणों में परिशिष्ट 4के के बिना एसआईओएन का अनियमित निर्धारण हुआ, जिसमें ₹164.28 करोड़ का कुल सीआईएफ मूल्य शामिल है।

आरए अहमदाबाद ने बताया (नवंबर 2020) कि तदर्थ मानदंडों का निर्धारण संबंधित एनसी द्वारा किया जाता है। आरए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसआईओएन आवश्यक सीई प्रमाण पत्र के बिना निर्धारित किया गया था।

2.4.7 एक ही निर्यात/आयात पर पहले के मानदंडों की वैधता अवधि के भीतर ही मानदंडों के निर्धारण के लिए आवेदन करना

एचबीपी के पैरा 4.12 में यह अनुबद्ध है कि जब एनसी स्व-घोषणा मानदंडों के तहत प्राप्त प्राधिकार के संबंध में समान निर्यात और आयात उत्पादों के लिए मानदंडों की पुष्टि करती है, तो ऐसे मानदंड संपुष्टि की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगे और वहीं आवेदक ऐसे तदर्थ मानदंडों के आधार पर पुनरावृत्ति के प्राधिकार का लाभ उठा सकता है। डीजीएफटी ने पीएन 64 दिनांक 27 दिसंबर 2018 में एचबीपी के पैरा 4.12 में संशोधन किया और बताया कि

एनसी द्वारा संपुष्टि किए गए मानदंड एफटीपी की पूरी अवधि के लिए यानि मार्च 2020 तक या संपुष्टि की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए मान्य होंगे, जो भी बाद में हो। चूंकि एनसी के सभी निर्णय डीजीएफटी वेबसाइट पर कार्यवृत के रूप में उपलब्ध हैं, इसलिए अग्रिम प्राधिकार के अन्य सभी आवेदक भी इन मानदंडों की वैधता के दौरान पुनरावृति के आधार पर ऐसे संपुष्टि मानदंडों के आधार पर आवेदन करने और अपने प्राधिकार प्राप्त करने के पात्र हैं।

आरए मुंबई ने मई और जून 2018 के दौरान एक ही फर्म को एक ही निर्यात/आयात के लिए एनसी द्वारा निर्धारित दो अलग-अलग मानदंडों के आधार पर मेसर्स एच लिमिटेड को दो एए (अप्रैल और जून 2018) जारी किए हैं।

इसी तरह का अवलोकन आरए कानपुर में किया गया था, जहां जनवरी 2015 में पहले भी इसी आयात/निर्यात के लिए अंतिम रूप दिए गए मानदंडों के आधार पर पुनरावृति आधार के तहत एए के लिए फर्म, मेसर्स आई लिमिटेड ने आवेदन किया (जुलाई 2016) था, लेकिन आरए ने मानदंडों के निर्धारण के लिए एनसी को मामला भेजा था, जो चार साल बीत जाने के बाद भी लंबित है।

डीजीएफटी ने बताया (फरवरी 2021) कि मानदंडों में केवल 2 प्रतिशत अपशिष्ट की अनुमति दी गई थी और एएच द्वारा लिए गए किसी भी अन्य लाभ की वसूली की जाएगी।

आरए को पुनरावृति के आधार पर लगातार एए की अनुमति देनी चाहिए थी क्योंकि एनसी ने पहले से ही उसी कंपनी के लिए एक ही निर्यात/आयात मानदंडों की पुष्टि की थी और एनसी, जिसमें अधिक लंबित समय पहले से मौजूद है, आवेदन वापस कर सकता था क्योंकि मानदंड पहले से ही निर्धारित थे और संशोधन के रूप में आगामी दो वर्षों/विस्तारित अवधि के लिए वैध हैं।

2.4.8 एनसी द्वारा मानदंडों के निर्धारण में अन्य विसंगतियां

नौ एए के संबंध में तीन आरए (अहमदाबाद, कोच्चि और पुणे) में मानदंडों के निर्धारण में अन्य विसंगतियां देखी गईं, जिनमें ₹ 4.24 करोड़ की राशि का परित्यक्त शुल्क शामिल है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 2.7: मानदंडों के निर्धारण में अन्य विसंगतियां

क्र/सं.	आरए	फर्म का नाम	एए की संख्या	मद का विवरण	परित्यक्त शुल्क	टिप्पणियां
					(लाख में)	
1	अहमदाबाद	मेसर्स जे लिमिटेड	2	प्रत्यक्ष भूरे रंग के एसबीआर (डाई)	398.62	आरए ने ईओडीसी (अक्टूबर 2018) जारी किया, भले ही एनसी द्वारा दो एए के लिए निर्यात की समान मात्रा के लिए एसआईओएन के निर्धारण में विसंगति थी और इसके आग्रह के बावजूद एनसी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण न करना।
2	कोच्चि	मेसर्स के लिमिटेड	1	कैप्सैसिन पाउडर	25.58	एएनएफ 4 एफ के अनुसार, 42.50 प्रतिशत आयातित इनपूटों का उपयोग नहीं किया गया। हालांकि, एनसी ने इस मामले को निपटाया (जुलाई 2019), आरए को मसाला बोर्ड, कोचीन की नमूना विश्लेषण रिपोर्ट (एसएआर) के आधार पर एए को मोचन करने का निर्देश दिया। आयात मद मसालों की श्रेणी में नहीं आता है और इसलिए मसाला बोर्ड के क्षेत्र में नहीं आता है। आरए, कोच्चि द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और यह मामला सीमा शुल्क विभाग के पास भी लंबित है।
3		मेसर्स एल लिमिटेड	5	रिफाइंड ओलेरेसिन पैप्रिका	-	आरए ने ईओडीसी जारी किया, भले ही निर्यात वस्तु एसआईओएन ई-95 के साथ संगत नहीं थी।
4	पुणे	मेसर्स एम लिमिटेड	1	बुना हुआ स्वेटर	-	एनसी पर लागू होने के बावजूद एसआईओएन मानदंड 71/161 मौजूद है।
कुल			**9**		**424.2**	

डीजीएफटी ने बताया (फरवरी 2021) कि मामला जांच के अधीन था और मांग नोटिस जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मानदंडों को शीघ्रता से निर्धारित किया जाएगा और अतिरिक्त आयात, यदि कोई हो, वसूल किया जाएगा।

2.5 अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) की अपर्याप्त निगरानी

एफटीडीआर नियम, 1993 के नियम 7 के साथ पठित एफटीपी 2015-2020 के पैरा 2.15 (सी) में बताया गया है कि सीमा शुल्क या विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून का उल्लंघन करने, ईओ की चूक और धोखाधड़ी और गलत घोषणा के मामले में, किसी इकाई को डीईएल के तहत रखा जा सकता है। इस तरह के जारी आदेश में कारणों को लिखित में दर्ज करने पर, किसी फर्म को वित्तीय या राजकोषीय लाभ प्रदान करने वाले लाइसेंस, प्रमाण पत्र, स्क्रिप या किसी भी साधन के अनुदान या नवीकरण को अस्वीकृत किया जा सकता है। एफटीपी के पैरा 2.15 (डी) बताता है कि डीईएल आदेश को एक समय में 60 दिनों की अवधि से अधिक के लिए आरए द्वारा लिखित कारणों से स्थगित रखा जा सकता है। इसके अलावा, पैरा 2.15 (ई) आरए लिखित कारणों द्वारा डीईएल से एक फर्म का नाम हटा सकता है, यदि फर्म आरए द्वारा जारी की गई मांग

नोटिस(ओं) की आवश्यकता को पूरा करती है/आरए द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करती है।

इसलिए, डीईएल तंत्र आरए को उन आवेदको को प्राधिकार देने से मना करने में मदद करता है जिन्होंने एफटीपी तथा एचबीपी के पिछले प्राधिकारो/प्रक्रियाओं की शर्तो का पालन नहीं किया है और ऐसी फर्मो को लाभ से वंचित कर सकता है। लेखापरीक्षित 1033 मामलों में से 193 (19 प्रतिशत) में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई थी।

तालिका 2.8: डीईएल की अपर्याप्त निगरानी

क्रम. सं.	**आरए का नाम**	**आरए की संख्या**	**टिप्पणी**
1	हैदराबाद	175	आरए ने निर्यातक को डीईएल में रखने की तारीख से 10 वर्षों से अधिक समय के बाद प्राधिकारों का अनुपालन न करने के लिए डीईएल के तहत तीन फर्मों को रखा। इस बीच, इन्हीं फर्मों को 175 एए (150-मोचन और 25-गैर-मोचन) जारी किए गए, जिनमें ₹ 712.32 करोड़ सीआईएफ मूल्य शामिल था।
2	मुंबई	12	आरए ने दो फर्मों के संबंध में 68 डीईएल आदेशों को स्थगित करके ₹ 123.91 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले 12 नए लाइसेंस इस तथ्य के बावजूद जारी किए, कि सांविधिक प्रावधानों जैसे निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत न करना आदि का अनुपालन न करने के लिए कई डीईएल आदेश जारी किए गए थे।
3	अहमदाबाद	3	आरए ने डीईएल मामलों के प्रबंधन के लिए डीजीएफटी परिपत्र (दिसंबर 2003) में निर्दिष्ट औपचारिक स्थगन आदेश जारी किए बिना डीईएल के तहत पांच फर्मों को ₹ 43.52 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ पांच लाइसेंस जारी किए।
4	पुणे	2	
5	कानपुर	1	आरए ने किसी भी कारण को अभिलेखित किए बिना ₹ 5.38 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ एए जारी किया, यद्यपि फर्म को आरए कोलकाता और वडोदरा द्वारा डीईएल सूची में रखा गया था। यह देखा गया कि ईओपी की समाप्ति से 20 महीने बीत जाने के बाद, आरए ने एए धारक को डीईएल (जुलाई 2019) पर सूचीबद्ध किया और सीमा शुल्क पत्तन (आईसीडी-जेआरवाई कानपुर) को लाइसेंस के उपयोग के लिए कहा (नवंबर 2019)। हालांकि, सीमा शुल्क पत्तन के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि लाइसेंस पत्तन पर पंजीकृत नहीं था।
कुल		**193**	

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि स्थगन को एक आईईसी को प्रदान किया जाता है न कि व्यक्तिगत फाइलों को। इसलिए, एक बार स्थगन प्रदान करने के

बाद, उक्त आईईसी के तहत डीईएल में सभी फाइलों को परिचालन न होना माना जाता है। मामले की जांच की जा रही है और यथासमय स्थिति की सूचना दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में डीईएल तंत्र का कार्यान्वयन पाया गया, जो निर्यातकों को लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करने के लिए माना जाता है, डीईएल के तहत ईकाईयों को रखने में 8 से 13 वर्ष की अत्यधिक देरी हो रही थी और कई स्थगन आदेश जारी किए जा रहे थे, जो इसकी अप्रभाविता को दर्शाता है। जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों से देखा गया है, स्थगन आदेश बिना किसी कारण को अभिलेखित किए जारी किए गए थे और एए को डीईएल वस्तु-स्थिति बिना स्थगन आदेश जारी किए जारी किया गया था। इसके अलावा, मौजूदा नियमों/प्रक्रियाओं के तहत किसी निर्यातक को जारी किए जा सकने वाले स्थगन आदेशों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। डीजीएफटी ने आखिरी बार मार्च 2021 में डीईएल को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, जिसमें 21 अक्टूबर 2016 से लगाए गए जुर्माने का दर्शाया।

इसके अलावा, आरए के लिए यह जानने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि आवेदक को सीमा शुल्क अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत दंडित किया गया है, क्योंकि सीमा शुल्क और डीजीएफटी कार्यालयों के बीच ऐसे दंडित ईकाईयों के बारे में सूचनाओं का कोई आदान-प्रदान नहीं होता। प्राधिकार को जारी करना पूरी तरह से आवेदकों की स्व-घोषणा पर आधारित है।

सिफारिश संख्या 6: डीजीएफटी समय पर ढंग से डीईएल को अद्यतन करना सुनिश्चित कर सकता है और आस्थगन आदेश जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा, डीईएल में पूर्व अवधि के लिए लगाए गए दंड का विवरण, और की गई कार्रवाई के परिणाम, की गई वसूली, निर्णय आदि को शामिल करना चाहिए। आस्थगित आदेश के अनुदान से पहले लंबित निर्यात में शामिल शुल्क के लिए या आस्थगन आदेशों के विरुद्ध जारी किए गए नए लाइसेंसों के संबंध में शामिल शुल्क के लिए पूर्ण बीजी के रूप में राजस्व हित को बीजी के रूप में संरक्षित किया जा सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि ईसीए डिवीजन ने एफटीडीआर अधिनियम के तहत अधिनिर्णयन कार्यवाही के लिए सभी आरए को आदर्श दिशानिर्देश और समय-सीमा (जनवरी 2021) जारी की है । अधिनिर्णयन की कार्यवाही की व्यापक निगरानी के लिए नई आईटी प्रणाली लागू की जा रही थी।

डीजीएफटी का उत्तर प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि डीईएल की निगरानी और स्थगन आदेश जारी करना अधिनिर्णयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।

2.6 अपात्र आवेदकों को प्राधिकार का अनियमित जारी किया जाना

लेखापरीक्षा ने छह आरए में 2,555 मामलों की समीक्षा की और 56 मामलों (दो प्रतिशत) में निम्नलिखित कमियां पाईं:

2.6.1 लघु उद्योगों (एसएसआई) इकाइयों को अपनी क्षमताओं से अधिक प्राधिकार जारी करना

आरए पुणे ने अगस्त 2015 से मई 2016 तक 18 प्राधिकार (मेसर्स एन लिमिटेड और मेसर्स ओ लिमिटेड, प्रत्येक को नौ) जारी किए, जिसमें ₹ 29.64 करोड़ की बचत-शुल्क के साथ ₹ 132.28 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ तांबे की छड़ें के आयात की अनुमति दी गई।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि कोंधवा, पुणे में स्थित दोनों फर्मों के पास एसएसआई पंजीकरण था, जिनका कारोबार केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रावधान के अनुसार केवल डेढ़ करोड़ रुपये के भीतर होने की उम्मीद है। किसी भी फर्म का कोई पिछला निर्यात प्रदर्शन नहीं था और न ही उन्होंने जारी किए गए एए के विरूद्ध कोई निर्यात किया था, यद्यपि उनके ईओपी की अवधि अगस्त 2017 में समाप्त हो गई थी। दोनों फर्मों को एससीएन जारी किए गए हैं।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से यह देखा गया था कि राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने पुणे में स्थित कोंधवा और बद्दी में निर्यातकों पर मामला दर्ज किया (प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31 दिसंबर 2018) जिन्होंने एए योजना का दुरुपयोग करते हुए ₹ 40 करोड़ सीमा शुल्क वाले ₹ 173 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ तांबा छड़ों का आयात किया। वास्तव में इन इकाइयों में विनिर्माण सुविधाएं नहीं थीं और उन्होंने अपने इनपुट को खुले बाजार में परिवर्तित कर दिया।

अभिलेखों, पिछले प्रदर्शन और वार्षिक क्षमताओं की जांच किए बिना 18 प्राधिकारों को जारी करना और छोटी ईकाइयों को 10 महीने की अवधि के भीतर ₹ 132.28 करोड़ मूल्य वाले शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना, उन ईकाइयों को जो पहली बार आवेदन कर रही हो, दुरुपयोग होने के जोखिम से भरा है।

इसी तरह की एक अभ्युक्ति में, आरए मुंबई ने, ₹ 20.48 करोड़ की शुल्क बचत वाले ₹ 92.38 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ माल आयात करने के लिए तीन एसएसआई इकाईयों (मेसर्स पी लिमिटेड, मेसर्स क्यू लिमिटेड और मेसर्स आर लिमिटेड) को जो पहली बार आवेदन कर रहे थे और जिनके पास कोई पिछला निर्यात प्रदर्शन नहीं था, 15 एए जारी किए। ईओ को पूरा करने में दो फर्में नाकाम रही हालांकि ईओपी सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी और तीसरी फर्म ने अब तक निर्यात प्रदर्शन का कोई सबूत पेश नहीं किया है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि एफटीपी बिना निर्यात प्रदर्शन वाले एसएसआई इकाईयों वाले निर्यातकों की साख पर टिप्पणी नहीं करता है। डीआरआई के संदर्भ के आधार पर फर्म को डीईएल के तहत रखा गया है। दोनों फर्मों को एससीएन जारी किया गया है और इस मामले में प्रगति को अपडेट किया जाएगा। मुंबई स्थित अन्य तीन फर्मों के संबंध में उत्तर प्रतिक्षित है।

सिफारिश संख्या 7: डीजीएफटी को पहली बार माल आयात/निर्यात करने की मांग करने वाली फर्मों (विशेष रूप से एसएसआई इकाइयां जिनका कोई पिछला निर्यात प्रदर्शन नहीं है) को कई एए जारी करने से पहले निर्यातकों की साख को सत्यापित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, डीजीएफटी को नए एए जारी करने से पहले पूर्व एए, यदि कोई हो, के संबंध में ईओडीसी के पूरा होने का सत्यापन करना चाहिए।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021*)* कि मौजूदा प्रावधानों में स्व-घोषणा के आधार पर जारी किए गए एए के लिए मूल्य सीमाएं हैं। डीजीएफटी ने सीमा शुल्क परिपत्र 58/2004 (अक्टूबर 2004) का हवाला दिया जिसमें बीजी को लगाकर राजस्व हितों की रक्षा की जाती है और हर मामले में कई एए जारी करने से पहले साख को सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती है।

मूल्य सीमा को एए के लिए स्व-घोषणा के आधार पर निर्धारित किया गया है न कि सभी श्रेणियों के लिए एए यानी, एसआईओएन आधारित, स्व-संपुष्टि योजना, आवेदक विशिष्ट मानदंडों और स्व-घोषणा योजना के लिए पूर्व निर्धारण। चूंकि एसएसआई पंजीकरण में केवल डेढ़ करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है, इसलिए बिना किसी पूर्व निर्यात अभिलेखों के कई एए के लिए आवेदन करने वाली फर्में डीआरआई के संदर्भ से स्पष्ट रूप से दुरुपयोग के जोखिम से भरी हुई हैं। ऐसे मामलों में अभिलेखों को सत्यापित करना समझदारी होगी। यह पता

लगाए जाने पर कि क्या 15 प्रतिशत या बढ़ाए गए मूल्य के बीजी को लिया गया था, डीजीएफटी ने कहा कि यह मामला डीओआर से संबंधित है और डीओआर की टिप्पणियां प्राप्त की जा सकती हैं। डीओआर का उत्तर प्रतिक्षित है।

2.6.2 अपात्र फर्मों को एए जारी करना

एचबीपी के नियम 4.42 (ए) के अनुसार, एए के तहत ईओ की पूर्ति की अवधि प्राधिकार जारी होने की तिथि से 18 महीने होगी और एचबीपी के नियम 4.44 (बी) के अनुसार, एएच, ईओ की अवधि समाप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर प्राधिकार के विरूद्ध शिपिंग बिलों का विवरण जोड़कर ऑनलाइन आवेदन फाईल करेगा। यदि एएच, ईओ को पूरा करने में विफल रहता है या प्रासंगिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आरए प्राधिकार और शपथ-पत्र की शर्त को लागू करेगा और चूककर्ता निर्यातक को आगे प्राधिकार से इनकार करने सहित कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू करेगा।

सीएलए दिल्ली और आरए जयपुर ने ₹ 13.94 करोड़ के परित्यक्त शुल्क वाले ₹ 52.07 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ नए लाइसेंस इसके बावजूद जारी किए, कि एएच ने पिछले लंबित पांच एए के मोचन के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। सीएलए दिल्ली में, नए लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आवेदनकर्ता ने घोषणा में बताया कि निर्धारित ईओ की अवधि समाप्त होने के बावजूद पूर्व ईओ को पूरा नहीं किया गया।

आरए जयपुर ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि उक्त फाइल को मोचन फाइलों के बंडल के साथ समीक्षा किए बिना अभिलेख शाखा को भेज दिया गया था तथा फर्म मामले के मोचन के लिए पहले ही दस्तावेज प्रस्तुत कर चूका है और फर्म को पहले ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए डीएल/रिमाइंडर भेजे दिए हैं । सीएलए दिल्ली ने उत्तर दिया (अगस्त 2020) कि फर्म डीईएल के तहत नहीं थी और इसलिए एए शर्तों के साथ जारी किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपात्र फर्म को जारी किए गए नए प्राधिकार विदेशी व्यापार (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियम 7 के प्रावधान का उल्लंघन था।

एए योजना का उद्देश्य निवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना है। पिछले

एए के निर्यात दायित्व को समयबद्ध तरीके से पूरा न करने पर किसी फर्म को नए लाइसेंस जारी करना योजना के उद्देश्य को विफल करता है।

सिफारिश संख्या 8: डीजीएफटी नए एए जारी करने से पहले एएच द्वारा लंबित एए के मोचन दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने की निगरानी के बारे में आरए को दिए गए अपने निर्देशों को दोहरा सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि स्वत: भरण सुविधा को लागू कर दिया गया है और लंबित एए के मोचन दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने की उचित निगरानी के लिए आरए को आवश्यक निर्देश दोहराए गए हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान शामिल की गई अवधि 2015-16 से 2018-19 तक थी; इसलिए इस संबंध में कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

2.6.3 गैर/प्रासंगिक आरसीएमसी वाले ईकाईयों को प्राधिकार जारी करना

एचबीपी के पैरा 2.94 (ए) के अनुसार, आरसीएमसी[9] के लिए आवेदन करते समय, एक निर्यातक को आवेदन में अपना मुख्य व्यवसाय घोषित करना होता है। निर्यातक को परिषद से आरसीएमसी प्राप्त करना होता है जो उसकी मुख्य व्यावसाय के उत्पाद से संबंधित है। पैरा 294 (बी) के अनुसार, यदि कोई निर्यात उत्पाद किसी निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी)/कॉमोडिटी बोर्ड आदि द्वारा शामिल नहीं किया जाता है तो आरसीएमसी को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन (एफआइईओ) से प्राप्त किया जाना है। एए के लिए आवेदन करते समय, आरसीएमसी के बारे में विवरण का उल्लेख आवेदक द्वारा एएनएफ 4-ए में किया जाना आवश्यक है।

दो आरए (मुंबई और पुणे) में 927 मामलों में आरसीएमसी की समीक्षा से पता चला है कि निर्यातकों के पास ₹ 51.96 करोड़ के परित्यक्त शुल्क सहित नौ प्राधिकारों में संबंधित ईपीसी द्वारा जारी किया गया आरसीएमसी नहीं था जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

---

[9] आरसीएमसी पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र है जो विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) द्वारा प्रदान किया जाता है। यह आस अनुदान के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। एचबीपी के पैरा 2.94 में यह निर्धारित किया गया है कि आरसीएमसी को परिषद से लिया जाना है जो आवेदक के व्यापार की मुख्य लाइन के उत्पाद से संबंधित है। यदि किसी निर्यात उत्पाद को किसी निर्यात संवर्धन परिषद/कमोडिटी बोर्ड आदि द्वारा शामिल नहीं किया जाता है, तो उसके संबंध में आरसीएमसी को एफआईईओ से प्राप्त किया जाना है।

तालिका 2.9: आरसीएमसी न होना/प्रासंगिक आरसीएमसी वाले सत्वों को प्राधिकार जारी करना

क्र.सं.	आरए का नाम	एए की सं.	परित्यक्त शुल्क (₹ करोड़ में)	आरसीएमसी की आवश्यकता	लिया गया आरसीएमसी	टिप्पणी
1	मुम्बई	1	11.77	सिंथेटिक एंड रेयान टेक्सटाइल्स एक्सपत्तन प्रमोशन काउंसिल (एसआरटीईपीसी),	कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपत्तन प्रमोशन काउंसिल	पॉलिएस्टर और विसकोस आधारित वस्त्रों के निर्यातकों को एसआरटीईपीसी से आरसीएमसी प्राप्त करना आवश्यक था
2	मुम्बई व पुणे	8	40.19	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी), रासायनिक और संबद्ध ईपीसी, प्लास्टिक ईपीसी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	एफआईईओ	निर्यातकों ने संबंधित परिषदों से लागू प्रमाण पत्र के बजाय एफईआईओ से आरसीएमसी लिया था
कुल		**9**	**51.96**			

आरए मुंबई और पुणे ने कहा कि जिन मामलों में निर्यातकों के पास कई उत्पाद हैं, वहां मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एफआइईओ से आरसीएमसी स्वीकार्य था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कई उत्पादों के मामलों में, आरसीएमसी को अपने मुख्य व्यवसाय के उत्पाद से संबंधित निर्दिष्ट परिषद से लिया जाना है।

2.6.4 एए का अनियमित जारी करना और वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति की पूर्ति न होना

एफटीपी 2015-20 के पैरा 4.16 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि एए और/या एए के तहत आयातित सामग्री "वास्तविक उपयोगकर्ता" स्थिति के अधीन होगी। ईओ के पूरा होने के बाद भी इसे हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

आरए कोलकाता ने मेसर्स एस लिमिटेड को तीन एए जारी कर बद्दी हिमाचल प्रदेश के साथ मर्चेंट निर्यातक के रूप में, मेसर्स टी लिमिटेड की, इकाई ने एए में सहायक निर्माता के रूप में समर्थन किया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आरसीएमसी के अनुसार मेसर्स एस लिमिटेड स्वयं एक विनिर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकृत है। इसके अलावा दोनों फर्मों (मेसर्स एस लिमिटेड और मेसर्स टी लिमिटेड) का पता, फोन, ई-मेल, फैक्स और वेबसाइट एक जैसी थी। यह माल

अहमदाबाद में स्थित मेसर्स टी लिमिटेड द्वारा निर्यात किया जाता था जबकि हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्थित अन्य संयंत्र द्वारा विनिर्माण के लिए एए जारी किए गए थे। निर्यात दस्तावेज (एसबी/बीआरसी/चालान) में सहायक विनिर्माता (मेसर्स टी लिमिटेड) का नाम कहीं भी दर्शाया नहीं गया और इसलिए मेसर्स एस लिमिटेड द्वारा वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त की शर्त को पूरा नहीं किया गया। इसलिए ₹ 24.25 लाख की शुल्क छूट का लाभ अनियमित था, जिसे ब्याज के साथ वसूल किए जाने की आवश्यकता है ।

आरए कोलकाता ने बाद में मेसर्स एस लिमिटेड को जारी किए गए तीन एए को गठ-बंधन समझौते के सत्यापन और एक मर्चेंट निर्यातक के रूप में फर्म की घोषणा की शुद्धता की जांच के बिना मोचन कर दिया।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि आरए कोलकाता की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

2.7 अपात्र आपूर्ति पर प्राधिकार को अनियमित जारी करना

2.7.1 अन्य एएच को की गई आपूर्ति और मसालों के लिए एए जारी करना

एफटीपी का पैरा 4.05 (सी) (iii) उस माल को निर्दिष्ट करता है जिसके लिए एए जारी किया जाएगा और श्रेणी 7.02 (ए) के तहत माल की आपूर्ति शामिल नहीं करता है, यानी एए के किसी अन्य धारक को माल की आपूर्ति के लिए एए जारी नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, एफटीपी के पैरा 4.11 (iii) में कहा गया है कि "आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय 9 और 12 के तहत वर्गीकृत 30 प्रतिशत से अधिक के मूल सीमा शुल्क वाले हल्की काली मिर्च (हल्का दाना) के अलावा अन्य सभी मसाले स्व-घोषणा के आधार पर आयात करने के लिए अग्रिम प्राधिकार के लिए पात्र नहीं हैं ।

मध्यवर्ती आपूर्ति और मसालों के संबंध में एए को जारी करने में अनियमितताएं आरए मुंबई और आरए कोच्चि में देखी गईं जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.10: मध्यवर्ती आपूर्ति और मसालों पर एए जारी करने में अनियमितताएं

क्रम.सं.	आरए	मामलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	मुंबई	1	2.22	आरए श्रेणी 7.02 (ए) के तहत तीन अन्य एएच को ₹ 21.78 करोड़ के एफओबी मूल्य के साथ सामग्री की आपूर्ति के लिए मेसर्स यू लिमिटेड को एए जारी (अक्टूबर 2017) किया गया है, जिसकी अनुमति नहीं है।
2	कोच्चि	1	1.15	आरए ने हल्की सफेद मिर्च के आयात के लिए स्व-घोषणा के आधार पर मेसर्स वी लिमिटेड को एए जारी (जूलाई 2016) किया जो 70 प्रतिशत के सीमा शुल्क को आकर्षित करता है। चूंकि शुल्क योजना के तहत निर्धारित सीमा से अधिक था, इसलिए फर्म एए के अनुदान के लिए पात्र नहीं थी फर्म ने हालांकि लाइसेंस के विरूद्ध ₹ 143.33 लाख के सीआईएफ मूल्य के साथ हल्के मिर्च दाने का आयात किया।
कुल		**2**	**3.37**	

डीजीएफटी ने आरए मुंबई से संबंधित मध्यवर्ती आपूर्ति के संबंध में कहा था (फरवरी 2021) कि एए को एफटीपी के पैरा 4.05 (ii) के अनुसार मध्यवर्ती आपूर्ति यानी अन्य एएच को आपूर्ति के लिए जारी किया जा सकता है। क्योंकि इसका पहले से ही पैरा 4.05 (सी) (ii) में उल्लेख किया गया है, इसलिए दोहराव और भ्रम से बचने के लिए क्रम संख्या 4.05 (iii) के विरूद्ध इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आरए कोच्चि के संबंध में, डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि फर्म को डिमांड नोटिस जारी किया गया है।

आरए मुंबई के संबंध में उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नए एफटीपी 2015-20 में पैरा 7.02 (ए) में पैरा 4.05 (iii) शामिल नहीं है।

2.7.2 विशेष रसायन, जीव, सामग्री और प्रौद्योगिकियों (एससीओएमइटी) मदों के निर्यात के लिए एए जारी करना

एचबीपी के पैरा 4.27 (सी) के साथ पठित एफटीपी के पैरा 4.18 (v) में यह अनुबद्ध है कि प्रतिबंधित एससीओएमईटी मदों का निर्यात, प्राधिकार या अनुमति की सभी शर्तों या आवश्यकताओं के अधीन आईटीसी (एचएस) की

अनुसूची 2 के अधीन हो सकता है, जिसमें डीजीएफटी से प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित एससीओएमईटी प्राधिकार शामिल हैं।

इसके अलावा, एए के लिए आवेदन करते समय, फर्म इस आशय की शपथ/घोषणा करती है कि निर्यात-आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2004-09 की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में शामिल एससीओएमईटी मदों का अवलोकन कर लिया गई है तथा निर्यातित/प्रस्तावित मदे, जिनका निर्यात किया जाना है, इस सूची में नहीं आते।

आरए बेंगलुरु ने एयरोस्पेस श्रेणी के तहत विमानों के घटकों के निर्यात के लिए मेसर्स डब्ल्यू लिमिटेड को ₹ 150.60 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले छह एए जारी किए। हालांकि, सत्यापन करने पर निर्यात किए गए माल को सैन्य विमानों के घटक के रूप में पाया और एससीओएमईटी, आईटीसी (एचएस) के अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 की (क्र. सं. 5 डी 001)) मद की श्रेणी में आ रहे थे। इसलिए, फर्म को एएनएफ-2ई से डीजीएफटी में निर्यात प्राधिकार के लिए आवेदन फाईल करना चाहिए था और डीजीएफटी के संबंधित जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय से निर्यात प्राधिकार प्राप्त करने के लिए अनुमति पत्र (एससीओएमईटी प्राधिकार) प्राप्त करना चाहिए था। हालांकि, यह पाया गया कि फर्म ने डीजीएफटी से अनुमोदन लिए बिना सीधे एए के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था और आरए ने नीति का उल्लंघन करते हुए आवेदन/दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बिना प्राधिकार भी जारी किए थे। इसके अलावा, फर्म इस संबंध में गलत घोषणा देने के लिए एफटीडीआर अधिनियम 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि फर्म ने शपथ-पत्र में आश्वासन दिया कि निर्यात की गई वस्तुएं एससीओएमईटी के तहत शामिल नहीं हैं और एए प्राप्त करने के समय पर सीमा शुल्क पर निर्यात के लिए माल के निपटान के लिए एससीओएमईटी लाइसेंस प्राप्त करना फर्म की जिम्मेदारी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह आरए की जिम्मेदारी है कि वह निर्यात मदों का सत्यापन करे और यह पता लगाए कि क्या वे प्राधिकरण जारी करने से पहले एससीओएमईटी मदों की श्रेणी में आते हैं, और पूरी तरह से फर्म द्वारा की गई घोषणा पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, आरए द्वारा तत्परता न करने के परिणामस्वरूप उन मदों को एए जारी किया गया जो या तो लाइसेंस

के तहत अनुमत हैं या निषिद्ध है, यह एससीओएमईटी मदों के निर्यात के लिए दिशा-निर्देशों के विपरीत है

2.8 अन्य अनियमितताएं

2.8.1 एए जारी करते समय वित्तीय शक्तियों का पालन न करना

एए जारी करने के लिए वित्तीय शक्तियां डीजीएफटी द्वारा ओ.एम 1/2015 (फरवरी 2015) के संदर्भ में निर्दिष्ट की गई हैं, जिन्हें शुल्क छूट योजना के तहत एए संबंधित नामित प्राधिकारियों द्वारा जैसे एफटीडीओ, डिप्टी डीजीएफटी, ज्वाइंट डीजीएफटी, डीजीएफटी और एमओसीआई द्वारा वार्षिक आवश्यकता/डीएफआईए/अग्रिम निर्गम आदेश/गैर-वैधीकरण पत्र के लिए एए सहित जारी किया जाना है।

एए जारी करने में वित्तीय शक्तियों का पालन न करना निम्नलिखित उदाहरणों में देखा गया:

(i) आरए बेंगलुरु ने 2015-16 और 2017-18 के दौरान मेसर्स एक्स लिमिटेड को गोल्ड बार का आयात तथा गोल्ड मैडलिओन को निर्यात करने के लिए 86 एए जारी किए, जिसका कुल सीआईएफ मूल्य ₹ 84,201.64 करोड़ और एफओबी मूल्य ₹ 85469.52 करोड़ है। संवीक्षा में पता चला कि 2016-17 के दौरान 11 मामलों के संबंध में एक ही दिन दो से तीन एए जारी किए गए थे। इन सभी मामलों में प्रत्येक प्राधिकार का सीआईएफ मूल्य ₹ 1000 करोड़ से कम (अपर डीजीएफटी के स्तर पर मंजूरी के लिए प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के भीतर) सीमांत रूप से रखा गया था ताकि एए को अनुमोदन और मंजूरी के लिए डीजीएफटी दिल्ली को न भेजना पड़े। **(अनुलग्नक 2)**

(ii) पांच आरए (अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पानीपत) में 835 मामलों में से 12 मामलों में प्रत्यायोजित शक्तियों का पालन नहीं किया गया।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि वित्तीय शक्ति ₹ 1000 करोड़ तक है और एए प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के भीतर जारी किए गए थे। अन्य मामलों में, आरए ने डीजीएफटी की कार्योत्तर अनुमोदन की मांग की है।

डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सभी मामलों में इनपुट और आउटपुट दोनों समान थे और एक ही दिन एए जारी किए गए हैं। प्राधिकारों को आगे की जांच और अनुमोदन के लिए डीजीएफटी को अग्रेषित करने से बचने के लिए विभाजित किया गया था, जिससे उक्त ओ.एम ने गतिरोध पैदा किया।

2.8.2 प्राधिकार पर बैंक गारंटी की शर्त का अंकन नहीं किया गया

एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.12 में यह निर्धारित किया गया है कि एचबीपी (बिना मानदंडों की श्रेणी) के पैरा 4.07 के तहत जारी किए जाने वाले प्राधिकारों का अधिकतम सीआईएफ मूल्य स्थिति धारकों के लिए पिछले वर्ष के निर्यात/आपूर्ति के एफओबी मूल्य का 300 प्रतिशत और अन्य लोगों के लिए ₹ 10 करोड़ या 300 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा। पैरा 4.13 में कहा गया है कि एक आवेदक सीमा शुल्क से छूट को शामिल करने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण को 100 प्रतिशत बीजी प्रस्तुत करने के अधीन पैरा 4.12 में उल्लिखित पात्रता से अधिक पात्रता के लिए प्राधिकार का हकदार होगा। इस आशय का एक विशिष्ट अंकन प्राधिकार पर किया जाएगा ताकि सीमा शुल्क विभाग एए के पंजीकरण से पहले बीजी पर जोर दे।

आरए मुंबई ने 2018-19 के दौरान मेसर्स वाई लिमिटेड को बिना मानदंडों की श्रेणी के तहत ₹ 268.37 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ दो एए जारी किए। चूंकि पिछले वर्ष के निर्यात का एफओबी मूल्य ₹ 16.54 करोड़ था, इसलिए बीजी शर्त के बिना सीआईएफ मूल्य केवल ₹ 49.62 करोड़ (₹ 16.54 करोड़ के एफओबी मूल्य का 300 प्रतिशत) के लिए अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी बीजी शर्त के ₹ 218.75 करोड़ के अतिरिक्त आयात की अनुमति दी गई थी। 2019-20 के दौरान, एएच को आगे बिना किसी बीजी शर्त का अंकन किए, (₹ 1189.36 करोड़ की सीआईएफ मूल्य वाले) आठ एए जारी किए गए थे।

इसी तरह, आरए पुणे ने अतिरिक्त सीआईएफ मूल्य पर 100 प्रतिशत बीजी शर्त के अंकन के बिना ₹ 18.20 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के लिए मेसर्स जेड लिमिटेड, पुणे को एए जारी किया, (नवंबर 2016) हालांकि फर्म ने स्वयं ₹ 3.47 करोड़ की शेष हकदारी का कार्यपत्र दिया था।

आरए मुंबई ने कहा कि दूसरा लाइसेंस पैरा 4.12 (ii) के अनुसार दोहराने के आधार पर जारी किया गया था, और एक बार एनसी द्वारा तदर्थ मानदंड तय किए जाने के बाद, बिना मानदंडों के तहत जारी लाइसेंस के लिए सीमाएं लागू नहीं होंगी। आरए पुणे ने कहा कि एए को हकदारी के भीतर सही ढंग से जारी किया गया था।

आरए मुंबई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों लाइसेंस एक ही तारीख (19.02.2019) को जारी किए गए थे और लाइसेंस में मानदंडों को जुलाई 2019 में अंतिम रूप दिया गया था, और दूसरा लाइसेंस केवल बिना मानदंडों के मामले के तहत जारी किया गया था। इसलिए, बीजी को दूसरे लाइसेंस के लिए जोर दिया जाना चाहिए था। आरए पुणे की प्रतिक्रिया ₹ 3.47 करोड़ की अतिरिक्त सीआईएफ की राशि फर्म की घोषणा को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत नहीं है।

2.8.3 100 प्रतिशत बीजी शर्त को अनियमित हटाना

एफटीपी के पैरा 2.58 डीजीएफटी को एफटीपी के प्रावधानों या उसमें निर्दिष्ट संबंधित समिति के साथ परामर्श के बाद ही किसी भी व्यक्ति को बड़ी, रिआयत या राहत देने के लिए अधिदेशित करता है। प्राधिकारों की किसी भी शर्त में रिआयत देने के मामले में डीजीएफटी को नीतिगत रिआयत समितियों (पीआरसी)[10] से परामर्श करना होता है।

आरए, पुणे ने 100 प्रतिशत बीजी शर्त के साथ मेसर्स एए लिमिटेड को एए जारी किया (नवंबर 2017) क्योंकि फर्म पहले ही अधिकतम हकदारी को पार कर चुकी थी। हालांकि, यह देखा था गया कि बीजी की शर्त को अपर डीजीएफटी, नई दिल्ली के ई-मेल दिनांक 27.11.2017 के आधार पर हटा दिया गया था। चूंकि, नीति शर्त में रिआयत देने की शक्ति पीआरसी के साथ परामर्श करने के बाद डीजीएफटी के पास थी इसलिए अपर डीजीएफटी से ईमेल के आधार पर बीजी शर्त को 100 प्रतिशत हटाना न्यायसंगत नहीं था। इसके अलावा ईमेल की अभिलेख प्रति अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, एएच ने निर्यात पूर्ति का प्रमाण प्रस्तुत करने में चूक की थी।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि ईओ पूर्ति के दस्तावेज जमा करने के लिए मांग-सह-एससीएन जारी किया गया है। हालांकि, उत्तर ने बीजी की शर्त माफ करने को लेकर चुप्पी साध ली।

[10] नीतिगत रियायत समिति (पीआरसी) को नीति/प्रक्रियाओं (ईपीपी) से छूट के रूप में भी जाना जाता है। डीजीएफटी जनहित में ऐसे आदेश पारित कर सकता है या ऐसी रिआयत, रिआयत या राहत प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह एफटीपी या किसी भी प्रक्रिया के प्रावधान से किसी भी व्यक्ति या वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों को व्यापार पर वास्तविक कठिनाई और प्रतिकूल प्रभाव के आधार पर उपयुक्त और उचित समझ सकता है।

2.8.4 निवलता के आधार पर प्राधिकार को गलत जारी करना

इंजीनियरिंग उत्पादों पर सामान्य नोट, एसआईओएन के पैरा 4 (क) के अनुसार जहां मानदंडों को मानकीकृत/प्रकाशित नहीं किया गया है और आवेदक केवल घटकों का आयात करना चाहता है, उसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा बिना किसी बर्बादी के निवलता के आधार पर आयात करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, अनुमत घटकों के आयात की अनुमति जवाबदेही खंड के साथ दी जाएगी और आयात के लिए मांगे गए घटकों के प्रकार, तकनीकी विनिर्देशों आदि को परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले घटकों के अनुरूप होना चाहिए, जिसे निर्यात दस्तावेजों में दर्शाया जाना चाहिए और इस आशय की शर्त का लाइसेंस पर अंकन किया जाएगा।

आरए मुंबई ने एकीकृत तारों के कवच निर्यात के लिए मेसर्स एबी लिमिटेड को एए जारी किया (मई 2017)। यह देखा गया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 4ई (निर्यात उत्पाद की प्रत्येक इकाई के लिए आवश्यक इनपुट का प्रतिनिधित्व करने वाले तकनीकी डेटा) ने प्रत्येक निर्यात उत्पाद के लिए आवश्यक घटकों की विशिष्ट मात्रा का संकेत नहीं दिया, और संबंधित कॉलम में केवल 'नेट से नेट' कहा गया है। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए पिछले 3 वर्षों के उपभोग डेटा, प्रति निर्यात आइटम के लिए 0.06 से 22.74 खपत के किसी भी विशिष्ट पैटर्न को प्रदर्शित करने में विफल रहा। आवेदन, इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए सामान्य नोट्स के निवलता प्रावधान के अनुरूप नहीं था; फिर भी, इस अनियमित जानकारी और गलत प्रमाणित डेटा के आधार पर लाइसेंस जारी किया गया था।

इसी तरह की टिप्पणी आरए कोयंबटूर में भी की गई थी जिसने ₹ 660.27 लाख वाले सीआईएफ मूल्य के साथ टूटी काजू गिरी के आयात के लिए मेसर्स एसी लिमिटेड क्विलन/पोलाची को एए जारी किया था (जुलाई 2015) जिसमें निवलता के आधार पर सूखे/भुना हुआ काजू के निर्यात के लिए 30 प्रतिशत से अधिक शुल्क शामिल था। एनसी ने मामलो को इस कारण का हवाला देते हुए अस्वीकृत कर दिया (दिसंबर 2013) कि आयात मद 30 प्रतिशत से अधिक सीमा शुल्क के साथ अध्याय 8 मद होने के नाते एए के अनुदान के लिए पात्र नहीं था। इसके बाद एनसी ने जवाबदेही शर्त के साथ निवलता के आधार पर लाइसेंस की अनुमति दी (जून 2014)।

खाद्य उत्पादों के लिए आयात नीति के सामान्य नोट में निवलता की अवधारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि खाद्य उत्पादों की श्रेणी में काजू गिरी निवलता श्रेणी के तहत पात्र नहीं है; हालांकि, लाइसेंस जारी किया गया था। प्राधिकार के वास्तविक उपयोग के आधार पर परित्यक्त शुल्क ₹ 297.12 लाख की गणना की गई।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि फर्म (मेसर्स एबी लिमिटेड) को डीईएल में रखा गया है और आरए कोयंबटूर ने दूसरी फर्म (मेसर्स एसी लिमिटेड) को एससीएन जारी किया है।

2.8.5 आवेदन फीस का कम संग्रहण

एचबीपी के परिशिष्ट-2के में आयात के सीआईएफ मूल्य के प्रति हजार रुपये की दर से कम से कम पॉच हजार रूपए तथा अधिकतम एक लाख रूपयें आवेदन फीस निर्धारित की गई है। एचबीपी के पैराग्राफ 4.40 के अनुसार, वृद्धि के लिए देय आवेदन फीस, अंतिम प्राधिकार और मूल सीआईएफ मूल्य में अंतर होगा।

पांच आरए (अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और विशाखापत्तनम) में 1,409 चयनित नमूना मामलों की समीक्षा से 34 मामलों (2.4 प्रतिशत) में ₹ 9.68 लाख की आवेदन फीस के कम संग्रहण का पता चला।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि आरए विशाखापत्तनम ने चार मामलों में ₹ 1.29 लाख की वसूली की और अन्य आरए ने फर्मों को आवेदन फीस का भुगतान करने के लिए कहा है।

निष्कर्ष

डीजीएफटी मुख्यालय और पर्याप्त संचित रिक्तियों वाले आरए, दोनों में कर्मचारियों की भारी कमी थी, जिससे न केवल अग्रिम प्राधिकार बल्कि एफटीपी के अंतर्गत अन्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने में डीजीएफटी की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

एए के जारी होने में पर्याप्त विलंब ने, 2015-16 से 2018-19 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रक्रियाओं के सरलीकरण और कारोबार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता का संकेत दिया। एए जारी करने की प्रक्रिया हालांकि स्वचालित थी आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेजों की अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग के रूप में आवश्यक मैनुअल हस्तक्षेप को मई

2019 में लागू किया गया, जिसके कार्यान्वयन की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी। तब तक, सभी निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे थे, जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा होने के बावजूद एए जारी करने में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप ऑनलाइन प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य को विफल किया।

लेखापरीक्षा ने मानदंड समितियों के साथ अग्रिम प्राधिकार आवेदनों की लंबित स्थिति की समीक्षा की। 31 मार्च 2019 तक, लंबित संख्या 5,606 थी जो 31 मार्च 2020 तक बढ़कर (7.8 प्रतिशत) 6044 हो गई ।

आयात और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए क्रमश 12 महीने और 18 महीने की निर्धारित समय सीमा के विरूद्ध 4 महीने से लेकर 16 वर्ष तक की अवधि से अधिक मानदंडों के निर्धारण में काफी विलंब हुआ। समय पर मानदंडों को अंतिम रूप न देने के साथ ही ईओडीसी को निर्धारित अवधि के भीतर निर्यातकों को जारी नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बांड और बीजी का अवरोध हुआ बल्कि इसके परिणामस्वरूप ईओ मामलों को पूरा न करने में भी वृद्धि हुई। इसके अलावा, चूक के मामलों के लिए सीमा शुल्क और उस पर ब्याज की वसूली करने के लिए आरए और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा फर्मों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने में भी इससे विलम्ब होता है जो उस सही एएच पर शास्ति लगाने के अलावा है जिसे सभी अनुबद्ध शर्तों का पालन करने के बाद भी ईओसीडी प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

एनसी के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार आवेदन के लिए एफटीपी/एचबीपी में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है जिसके परिणामस्वरूप आरए और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क और उस पर ब्याज की वसूली करने के लिए एएच के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने में विलंब होता है।

लेखापरीक्षा में डीईएल तंत्र का कार्यान्वयन पाया गया, जो निर्यातकों को लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करने के लिए माना जाता है, डीईएल के तहत ईकाईयों को रखने में 8 से 13 वर्ष की अत्यधिक देरी हो रही थी और कई स्थगन आदेश जारी किए जा रहे थे, जो इसकी अप्रभाविता को दर्शाता है। मौजूदा नियमों/प्रक्रियाओं के तहत किसी निर्यातक को जारी किए जा सकने वाले स्थगन आदेशों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसके अलावा, आरए के लिए यह जानने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि आवेदक को सीमा शुल्क अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत दंडित किया गया है, क्योंकि सीमा

शुल्क और डीजीएफटी कार्यालयों के बीच ऐसी दंडित ईकाईयों के बारे में सूचनाओं का कोई आदान-प्रदान नहीं होता। प्राधिकारों का मुद्दा पूरी तरह से से आवेदक की स्व-घोषणाओं पर आधारित है।

कई एए जारी करने से पहले आरए द्वारा अभिलेखों का कोई सत्यापन नहीं है, विशेष रूप से एसएसआई इकाइयों का, जिसमें कोई पूर्व निर्यात प्रदर्शन नहीं है और इन्होने अपनी स्थापित क्षमता से परे पर्याप्त आयात करने की मांग की है। इसके अलावा, पूर्व एए के ईओ को समय पर पूरा न करने पर किसी फर्म को नए लाइसेंस जारी करना योजना के उद्देश्य को विफल करता है।

सिफारिशें

1. ***डीजीएफटी/वाणिज्य विभाग को योग्य संसाधनों के साथ संचित रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी चाहिए, ताकि यह अग्रिम प्राधिकार और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो, यदि डीजीएफटी इन योजनाएं को जारी रखने का इरादा रखता है, तो।***
2. ***डीजीएफटी यह सुनिश्चित करके एए को समय पर जारी करने के लिए मैनुअल और स्वचालित प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सकता है कि ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल पूरा और पूर्ण आवेदन स्वीकार करने के लिए पुन: व्यवस्थित किया गया है। ऐसे निर्गमन की समयसीमा (या अन्यथा) की पर्याप्तता की समीक्षा भी की जा सकती है। तीन दिनों की निर्धारित समय-सीमा की तुलना में डीजीएफटी द्वारा एए जारी करने में महत्वपूर्ण विलम्ब (तीन महीने से दो वर्ष से अधिक) प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर आयातित वस्तुओं को प्राप्त करने की योजना के मूल उद्देश्य को विफल करता है। ऐसी विस्तारित अवधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।***
3. ***समय के साथ सभी क्षेत्रों में विनिर्माण प्रक्रियाओं और सुविधाओं के साथ-साथ तकनीकी उन्नयन में प्रगति की, डीजीएफटी को 2009 में एचबीपी वॉल्यूम- II के माध्यम से अधिसूचित एसआईओएन की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए।***
4. ***चार महीने से 16 वर्षों तक प्रतिमानों के नियतन करने में विलम्ब के साथ (जबकि एए योजना के अन्तर्गत शुल्क मुक्त आयातों और निर्यातों के लिए निर्धारित समयसीमा क्रमश: 12 महीने और 18 महीने है), बिना-मानदंड की***

श्रेणी के लिए मानदंड समिति (एनसी) की प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही है और डीजीएफटी को प्रणाली की व्यापक रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि दुरूपयोग की गुंजाइश को कम करते हुए इसकी उपयोगिता और व्यवहार्यता का निर्धारण किया जा सके।

5. *डीजीएफटी समयसीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है जिसके अन्दर एनसी के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अपील की जा सकती है।*

6. *डीजीएफटी समय पर ढंग से डीईएल को अद्यतन करना सुनिश्चित कर सकता है और आस्थगन आदेश जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा, डीईएल में पूर्व अवधि के लिए लगाए गए दंड का विवरण, और की गई कार्रवाई के परिणाम, की गई वसूली, निर्णय आदि को शामिल करना चाहिए। आस्थगित आदेश के अनुदान से पहले लंबित निर्यात में शामिल शुल्क के लिए या आस्थगन आदेशों के विरुद्ध जारी किए गए नए लाइसेंसों के संबंध में शामिल शुल्क के लिए पूर्ण बीजी के रूप में राजस्व हित को बीजी के रूप में संरक्षित किया जा सकता है।*

7. *डीजीएफटी को पहली बार माल आयात/निर्यात करने की मांग करने वाली फर्मों (विशेष रूप से एसएसआई इकाइयां जिनका कोई पिछला निर्यात प्रदर्शन नहीं है) को कई एए जारी करने से पहले निर्यातकों की साख को सत्यापित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, डीजीएफटी को नए एए जारी करने से पहले पूर्व एए, यदि कोई हो, के संबंध में ईओडीसी के पूरा होने का सत्यापन करना चाहिए।*

8. *डीजीएफटी नए एए जारी करने से पहले एएच द्वारा लम्बित एए के मोचन दस्तावेजों के प्रस्तुत न करने की निगरानी पर आरए को अपने अनुदेशों की पुनरावृत्ति करा सकता है।*